


क्र.नं. 21/19 उनवान डीलता छिटे प्लस रेमॉन्डिं
 दावा अन्वयित धारा 53, 82, 89, 188 RJA

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21	<p>आज महे पत्रवली पेशद्वारा, वारी एवं उनके अधेवन्ता कोर्ट उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज डिलाई गई कोर्ट उपस्थित नहीं आया।</p> <p>अतः दावा वारी अदम हाजरी अंरुत परवरी में इली डीवगु म खारिज किया गया है। पत्रवली केवल सुभा होना नम्बर से कम हो बाद तकनीक जापता दाखिल न पयाहो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) </p>	